प्रेस नोट
दिनांक-21.07.2022
थाना अहरौरा पुलिस द्वारा वध हेतु ले जाए जा रहे 30 **राशि गोवंश बरामद व** 02 **अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "संतोष कुमार मिश्रा" द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व पशु तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पुलिस द्वारा वध हेतु ले जाए जा रहे **30** राशि गोवंशो को बरामद कर **02** नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आज दिनांकः **21.07.2022** को उ**0**नि**0** गिरेन्द्र कुमार राय मय हमराह देखभाल क्षेत्र में भ्रमणशील/गस्त मे मामूर थे कि इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि बैजू बाबा पेट्रोल पम्प के पास तस्करो द्वारा कुछ राशि गौवंश ले जा रहे है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अहरौरा पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर **30** राशि गोवंश को बरामद कर **02** नफर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर गोवध अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी।

विवरण बरामदगी—
1-कुल **30** राशि गोवंश

गिरफ्तार अभियुक्त-
1-निरंजन पुत्र स्व**0** रामाधार चौहान निवासी ग्राम हमीरपुर थाना चांद जिला कैमूर भभुआ बिहार**,** उम्र करीब **45** वर्ष।
2-सतनू उर्फ सन्तू चौहान पुत्र शारदा चौहान निवासी ग्राम सोंगर थाना चांद जिला कैमूर भभुआ बिहार**,** उम्र करीब **28** वर्ष।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम
1-उ**0**नि**0** गिरेन्द्र कुमार राय थाना अहरौरा मीरजापुर।
2- उ**0**नि**0** दिलीप कुमार थाना अहरौरा मीरजापुर मय टीम।